अति-तत्काल

कार्यालय-ज्ञापन

स0 14015/2/97-स्था0 (छु0)
भारत-सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: एक प्रकार की छुट्टी के किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिशें ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 10 के उपबंधों के तहत, वह प्राधिकारी, जिसने किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी मंजूर की थी, उसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी दूसरे प्रकार की ऐसी छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है, जो कर्मचारी को छुट्टी मंजूर किए जाने के समय देय तथा अनुज्ञेय थी, किन्तु सरकारी कर्मचारी छुट्टी के ऐसे परिवर्तन को अपना अधिकार मानकर उसका दावा नहीं कर सकता ।

2. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 117.10 में यह सिफ़ारिश की है कि छुट्टी को, किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित किए जाने की अनुमति केवल तभी दी जाए, जब इस आशय का आवेदन, ∠ वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि समाप्त होने के 30 दिन के भीतर ही कर दिया जाए और इस संबंध में छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को अपने विवेकानुसार निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जाए ।

(हाशिये पर: ∠ किसी कर्मचारी द्वारा)

3. सरकार ने, पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है और राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि एक प्रकार की छुट्टी किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित करवाने के संबंध में सरकारी कर्मचारी के आवेदन पत्र पर केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 10 के उपबंधों और इस संबंध में लागू किसी अन्य नियम के अनुसार विचार किया जाए और ऐसा केवल तभी किया जाए जब ऐसा आवेदन, छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी अथवा इस संबंध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी द्वारा ली गई संगत छुट्टी की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसके द्वारा अपना कार्यभार फिर से ग्रहण कर लेने के 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए ।

.....2/-

4. ये आदेश इनके जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे ।

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 10 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किया जा रहा है ।

6. जहां तक, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(बी. गंगर)

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

संख्या 14015/2/97-स्था0(छुट्टी) दिनांक 31 दिसम्बर, 1997

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्यों को (400 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. महालेखा-नियंत्रक/लेखा-नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. भारत का उच्चतम न्यायालय ।
4. संघ-लोक-सेवा-आयोग/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा-सचिवालय/राज्य सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/राष्ट्रपति-सचिवालय/उप-राष्ट्रपति-सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग (अ0भा0से0 प्रभाग)/जे0सी0ए0/प्रशा0 अनुभाग/वेतन-कार्यान्वयन प्रकोष्ठ ।
6. अपर सचिव (संघ-राज्य-क्षेत्र) गृह-मंत्रालय ।
7. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र ।
8. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ-राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।
9. सचिव, राष्ट्रीय परिषद, (कर्मचारी पक्ष) 13-ग, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली
10. जे0सी0एम0 की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी-पक्ष के सभी सदस्य ।
11. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत-विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
12. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को उनके दिनांक 10.11.97सं0 969/ई.V/97 के यू0ओ0 के संदर्भ में ।
13. 3000 अतिरिक्त प्रतियां ।

(बी. गंगर)

भारत सरकार के अवर सचिव